U.N.I. **F.N.P.O.** **I.N.T.U.C**

ना पहाड़ों से डरते, ना तूफानों से डगमगाते हैं, जो तूफानों से टकराते हैं
और डाक कर्मचारियों के दुःखों को दूर करने के लिए लड़ते हैं उसे
FNPO-NUPE Postmen & Group-D/MTS Union कहते हैं।।

POSTAL PRAKASH

सी.एच.क्यू., दलवी सदन, खुर्शीद स्क्वायर, सिविल लाईंस, दिल्ली-110054

ANNUAL SUBSCRIPTION Rs. 50/- **Single Copy Rs. 5/-**

Editor : T.N. RAHATE **Vol. No. XXIX - No. 7** **JULY, 2013**

HINDI ISSUE

Union

Contents

Page 1
Shri G.K. Padmanabhan doyen of Labour Organisation - FNPO passed away

Page 4
पोस्टमैन और एमटीएस स्टाफ के फौरी मुद्दों पर डाक विभाग सचिव को सौंपा गया ज्ञापन

Page 10
General Secretary Letter Addressed to Secretary (P)

Page 11
Reply

Page 12
National Council JCM on Pensionary Matters

Page 16
Let us recall all the leaders of 1960 & 1946 Strike

Shri G.K. Padmanabhan doyen of Labour Organisation - FNPO passed away

Former General Secretary, FNPO Shri G.K. Padmanabhan passed away on 6th June, 2013. He was 84 years old and was not in good health. With the sad demise of him, I am personally grief-stricken and feel distressed and all the Office Bearers and members of the FNPO also feel the same.

My acquaintance with the Late Shri G.K. Padmanabhan dates back to the year 1998 during Postal Strike. Shri GKP started his active Union career from the year 1959 as an Assistant Secretary, RMS 'M' Division, Trichi. Thereafter by his sheer devotion and hardwork he was elevated as Secretary General FNPO in due course.

Before his demise, I personally went to his house in Delhi. However, it is painfully regretted that I could not speak to him as he was unconscious, but I tried to console the family members of Shri GKP. Shri GKP did recovered a bit, but his physical condition worsened on 6th June, 2013 late night and the life light was vanquished.

CHQ Quota

All the Divisional Secretaries / Branch Secretaries are requested to send CHQ Quota of **Rs. 9/- (Rs. Nine)** each member per month with effect from August 2012 to **Shri Jagdish Sharma, Treasurer (CHQ), Camp : I.P.H.O., New Delhi-110002.** M.: 09911 226062/ 09899 608399 / 08595 045985 as early as possible.

Journal of The National Union of Postal Employees, Postmen and Group 'D'/MTS
P&T Colony, Civil Lines, New Delhi-110054. **Tel.:** 23818330 • **Email :** tnrahate@yahoo.com
Shri T.N. Rahate (General Secretary) **M.:** 08080070500, 09869121277
Web : www.nupepostmen.org • www.nupepostmenp4.blogspot.com

During 1998 Postal Strike I came in contact of Late Shri GKP. Thereafter all India Conference of NUPE P-IV was held in Selam. Due to the said conference I came more closer to Late Shri GKP and with his support I was given the responsibility of Assistant General Secretary, CHQ. In 2002 AIC was held in Pune and Late Shri GKP praised my work and again the responsibility was given to me. As I was carrying the responsibility of Assistant General Secretary of NUPE P-IV under the able guidance of Late Shri GKP, I was fortunate to learn and gather great knowledge and experience in Union activities and became close associate of Late Shri GKP.

In the year 2005 AIC was held at Kolkatta under the Chairmanship of Late Shri GKP who supported and enthused me to take more responsible work in the Union activities. Consequently, an election was held and I was elected General Secretary of NUPE P-IV Union with thumping majority. After having been elected as General Secretary the routine and connected work of the Union was done by me under the guidance and with active support of Late Shri GKP at CHQ, New Delhi. Due to my full devotion to Union work and under the guidance of Late Shri GKP, FNPO P-IV became a force of increasing strength of membership, for all this I humbly and sincerely give full credit to Late Shri GKP.

In the year 2008 election took place for the Presidentship of FNPO. This time also Late Shri GKP pushed me in the competition of Presidentship and I was adored the highest position in the Union with the guidance of Late Shri GKP. My personal loss is very pinching because I have lost a great friend, philosopher and guide. However, life is a transitory existence and one has to leave for heavenly abode today or tomorrow. It is a rule of nature 'unavoidable'.

I hereby sincerely and positively assure my lakhs and lakhs of Union brothers that so long as I am in the saddle of Unions responsible posts, I will do my best to be always loyal, sincere and devotional to the work of the Union with best efforts that I can put in. I will also see that I will never betray the faith showed in me by my lakhs and lakhs of Union brothers who are always a tonic to me to work harder and harder.

With the above obituary to Late Shri GKP and praying for the resting of his soul in eternal peace, I also convey my deep condolences to his bereaved family.

- T.N. Rahate
General Secretary and
President FNPO

सी.एच.क्यू कोटा

सभी डिवीजनल सेक्रेटरी / ब्राँच सेक्रेटरी से अनुरोध किया जाता है CHQ कोटा **रुपये 9/- (नौ रुपये)** प्रति मेंबर प्रतिमाह भेजें। यह चंदा दर अगस्त 2012 से लागू है। CHQ कोटा **श्री जगदीश शर्मा, खंजाजी (CHQ), कैंप : आई.पी.एच.ओ. नयी दिल्ली-110002, मो.:** 09911 226062 / 09899 608399/08595 045985 को जल्द-से-जल्द से भेजें।

पोस्टल यूनियन का एक कीमती मोती लुप्त हुआ

FNPO के भूतपूर्व सेक्रेटरी जनरल जी.के.पी. उर्फ श्री जी.के. पद्मनाभनजी हमारे बीच नहीं रहे। 6 जून 2013 को उन्होंने अंतिम सांस ली और इस नश्वर संसार को त्याग कर अनंत की यात्रा पर चले गये। उनके बिछड़ने से निजीतौर पर मुझे तो गहरा सदमा पहुंचा ही है, संगठन के लिए भी यह एक अपूरणीय क्षति है।

84 वर्षीय कामगार नेता जी.के.पी. ने अपने संघर्षपूर्ण जीवन की शुरुआत 1959 में असिस्टंट सेक्रेटरी RMS 'M' Division Trichi FNPO का पदभार ग्रहण कर की तथा आगे चलकर वह FNPO के सेक्रेटरी जनरल के पद तक पहुंचे। सन् 2005 तक NUPE P-IV CHQ का ज्यादातर कामकाज स्व. जी.के.पी. के सहयोग से होता रहा। संगठन के अपने साथियों का मार्गदर्शन को वह करते ही थे, डायरेक्टोरेट के साथ पत्राचार तथा अन्य सर्किलों के साथ पत्राचार का कार्य वही करते थे। NUPE P-IV CHQ की मासिक पत्रिका के प्रकाशन और प्रसार का कार्य भी जी.के.पी. की ही देखरेख में संपन्न होता था। स्व. श्री जी.के. पद्मनाभन से मेरी पहचान 1998 में तब हुई जब पोस्टल विभाग की हड़ताल का बिगुल बजा था। धीरे-धीरे यह पहचान मित्रता में बदल गयी और उसके बाद मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर यूनियन के कार्यों में हिस्सा लेने लगा। इसके बाद सेलेम में NUPE P-IV का अखिल भारतीय अधिवेशन संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में मुझे अस्सिटेंट जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी सौंपी गयी। 2002 में पूना में हुए अखिल भारतीय अधिवेशन में उन्होंने मेरे कार्यों की प्रशंसा की तथा 2005 में कलकत्ता में संपन्न हुए अखिल भारतीय अधिवेशन में मुझे जनरल सेक्रेटरी के पद का चुनाव लड़ने के लिए स्व. श्री जी.के.पी. ने ही हिम्मत दिलायी। यह श्री जी.के.पी. के ही सहयोग और मार्गदर्शन का नतीजा था कि मैं भारी मतों से चुनाव जीता और NUPE P-IV का जनरल सेक्रेटरी बना। मेरे जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद भी CHQ Delhi के कामकाज में मुझे हमेशा उनकी सहायता एवं मार्गदर्शन मिलता रहा। यूनियन के सभासदों की संख्या में इस दौरान जो बढ़ोत्तरी हुई उसका बहुत कुछ श्रेय स्व. जी.के.पी. को भी जाता है। मैं स्व. श्री जी.के. पद्मनाभनजी का दिल की गहराइयों से ऋणी रहूंगा।

2008 में फेडरल कांग्रेस में मेरे FNPO का अध्यक्ष बनने में स्व. श्री जी.के. पद्मनाभनजी का मार्गदर्शन और सहयोग आधारभूत था। उनके जाने से NUPE P-IV, FNPO को जो क्षति पहुंची है उसकी भरपाई होना असंभव है। श्री जी.के. पद्मनाभन के अवसान के साथ ही पोस्टल यूनियन का एक कीमती मोती लुप्त हो गया है।

स्व. श्री जी.के.पी. पोस्टल कर्मचारियों की संघर्षयात्रा के एक मजबूत स्तंभ और शिखर व्यक्तित्व थे। श्री जी.के. पद्मनाभनजी के निधन से संगठन के सभी साथियों को धक्का पहुंचना स्वाभाविक है। 6 जून को उनके निधन से पहले जब मुझे उनके बीमार होने का समाचार मिला था तो मैं यूनियन के साथियों के साथ उन्हें मिलने उनके घर गया था। तब वह बेहोशी की अवस्था में थे। इस कारण उनसे उनका हालचाल नहीं जान पाये। हमने उनके परिवारजनों को दिलासा दिलाया कि वो ठीक हो जायेंगे। कुछ समय बाद श्री जी.के.पी. होश में भी आये लेकिन मौत के निमर्म पंजों ने 6 जून, 2013 की देर शाम उन्हें दबोच लिया।

श्री जी.के.पी. अब नहीं हैं लेकिन उनकी स्मृतियां हमेशा मेरे साथ रहेंगी। मैं जब तक CHQ तथा FNPO के पदों पर रहूंगा, स्व. श्री जी.के.पी. की दी हुई शिक्षाओं पर अमल करता रहूंगा। जो जिम्मेदारी वो मेरे कंधों पर डालकर गये हैं उसे मैं पूरे समर्पण भाव से निभाने की चेष्टा करता रहूंगा। पोस्टल कर्मचारियों की समस्याओं को हल करने में मुझसे जो कुछ भी बन पड़ेगा मैं करूंगा। मेरी ओर से उनके प्रति यही भाव भरी श्रद्धांजलि है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वह स्व. श्री जी.के. पद्मनाभनजी की पावन आत्मा को शांति प्रदान करें साथ ही श्री जी.के. पद्मनाभन अमर रहें।

- टी.एन. रहाटे
जनरल सेक्रेटरी एंड प्रेसीडेंट FNPO

नेशनल यूनियन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉईज पोस्टमैन एंड एम टी एस (एफएनपीओ)
ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉईज यूनियन पोस्टमैन एंड एमएसई/ग्रुप 'डी' (एनएफपीई)

सेवा में,
सचिव
डाक विभाग
डाक भवन, नई दिल्ली-100001

स.: मीमो/पोस्टमैन जेसीए/2013 दिनांक : 7/जून/2013

विषय : पोस्टमैन और एमटीएस स्टाफ के फौरी मुद्दों पर डाक विभाग सचिव को सौंपा गया ज्ञापन

महोदया,

ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉईज यूनियन - पोस्टमैन एंड एमएसई/ग्रुप डी और नेशनल यूनियन ऑफ पोस्टल एम्प्लाईज एंड एमटीएस पोस्टमैन और एमटीएस स्टाफ के फौरी मुद्दों पर यह ज्ञापन संयुक्त रूप से सौंप रही है जिन पर दोनों संगठन शीघ्र हल हेतु डाक निदेशालय का ध्यान खींचने के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई कार्यक्रम की एक शृंखला चलाएंगे।

पोस्टमैन कमेटी सिफारिशें लागू नहीं की गई : एन एफ पी ई और एफ एन पी ओ दोनों के पी-4 सी एच क्यूज इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि पोस्टमैन से संबंधित कमेटी की सिफारिशों के बावजूद निम्नलिखित मुद्दों पर लागू किए जाने के लिए कोई आदेश जारी नहीं किए गए हैं।

(क) **पोस्टमैन से डाटा एंट्री का काम लेना :** सभी सर्किलों को 30 अप्रैल 2012 तक उपयुक्त निर्देश/आदेश जारी होने चाहिए थे लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया है। उन्हें लागू करने के लिए शीघ्र आदेश जारी करने की जरूरत है।

(ख) **पोस्टमैन मानकों का संशोधन :** विभाग द्वारा जारी किए गए पोस्टमैन मानक बहुत पुराने हैं। कमेटी में लिये गये निर्णय संतोषप्रद नहीं हैं। इसलिए यह सुझाव दिया गया है कि पोस्टमैन स्टाफ द्वारा किये जाने वाले सभी कार्यों की समीक्षा के लिए, बीटों की डोर-टू-डोर माप के साथ, एक/दो स्टाफ पक्ष सदस्यों को लेकर नई आंतरिक कार्य अध्ययन इकाई का गठन किया जाए। इस काम के लिए आंतरिक कार्य अध्ययन इकाई का आदेश निदेशालय द्वारा जारी किया जाना चाहिए चूंकि वह कमेटी के कार्य क्षेत्र में नहीं आता।

(ग) **स्पीड पोस्ट वितरण प्रोत्साहन के भुगतान की प्रक्रिया में परिवर्तन :** इस समय प्रोत्साहन के भुगतान के लिए प्रक्रिया बहुत लंबी है। कोई भी बिल तैयार नहीं करता। अगर बिल तैयार कर दिये जाते हैं तो वे पी आर आई/एसा डी आई/ए एस पी के सत्यापन के लिए पड़े रहते हैं फिर डिवीजनल हैड की अनुमति के लिए जाते हैं। डिवीजनल हैड से भुगतान हेतु डी डी ओज को बिलों की अनुमति के बाद कार्यालयवार भुगतान के लिए बिल तैयार किये जाते हैं।

यह सुझाव दिया जाता है कि स्पीड पोस्ट प्रोत्साहन के भुगतान के लिए मोड्यूल कंप्युटर सोफ्टवेयर में डाला जाना चाहिए और संबंधित पोस्टमास्टर को साप्ताहिक/मासिक आधार पर भुगतान के अधिकार दिये जाने चाहिए। भुगतान के बाद संबंधित वाउचर को एकाउंटिंग के उद्देश्य के लिए डी डी ओज को भेजा जाए।

(घ) **बीटों का संयुक्तिकरण :** उपर्युक्त मीटिंग में यह निर्णय लिया गया था कि 4 से अधिक संख्या वाले डाकघरों में बीटों के संयुक्तिकरण की सीमा को हटाया जायेगा चूंकि इससे वितरण की कुशलता पर प्रतिकूल असर होता है। किंतु निदेशालय द्वारा इस पर आदेश अभी जारी किए जाने हैं। इसे अतिशीघ्र किया जाना चाहिए।

(ङ) **भारी पार्सलों और ई पी पी वस्तुओं का वितरण :** स्टाफ पक्ष द्वारा इंगित किया गया कि पोस्टमैन 5 किलो से अधिक वजन के पंजीकृत पार्सलों और ई पी पी वस्तुओं को, जिनका अधिकतम वजन 35 किलोग्राम प्रति वस्तु तय किया गया है, डेलीवरी करने में परेशानी होती है। इस बात पर जोर दिया गया है कि ई पी पी वस्तुओं की डेलीवरी के लिए कुछ वाजिब दर और परिवहन का तरीका तय किया जाए या पिछले समय तय किए गए कुली चार्जो मे, पंजीकृत पार्सल की कुशल डेलीवरी के लिए संशोधन पर विचार किया जाए ताकि भारी पार्सलों की डेलीवरी प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो। क्या भारी मूल्यवृद्धि के कारण भारी पार्सलों के लिए कुली चार्जों को बढ़ाया गया है? जहां तक ई पी पी पार्सलों का संबंध है, क्या परिवहन का तरीका, प्रत्येक तरीके के लिए दर के साथ निदेशालय द्वारा तय किया गया है।

(च) **आबादी के घनत्व में संशोधन :** स्टाफ पक्ष ने कमेटी का ध्यान निदेशालय पत्र सं. 9-1/2005-डब्ल्यू एस आई, पीई दिनांक 5-2-2010 के नोट क्रम सं. 8 की ओर खींचा जिसमें यह कहा गया है कि 2500 प्रति वर्ग किमी. आबादी के घनत्व वाले क्षेत्र को भीड़भाड़ वाला क्षेत्र माना जाए और इंगित किया कि उसे गलत छापा गया है चूंकि वह 2500 प्रति वर्ग मीटर की बजाय 2500 प्रति वर्ग मील होना चाहिए. उन्होंने पीटीसी, मैसूर से प्राप्त स्पष्टीकरण को उद्धृत किया जिसमें निदेशालय पत्र दिनांक 19-2-76 का संदर्भ दिया गया है जिसमें पोस्टमैन के मानकों को बनाने और भीड़भाड़ के क्षेत्र या 2500 प्रति वर्ग मील आबादी के घनत्व के क्षेत्र उसे परिभाषित करने का जिक्र किया गया है। चर्चा के बाद यह सहमति हुई कि निदेशालय इसकी जांच करेगा और पोस्टमैन प्रतिष्ठान के संशोधित मानकों के नोट 8 में उपयुक्त संशोधन जारी करेगा।

(छ) **उचित अतिरिक्त पदों का निर्माण :** इस संबंध में वितरण कार्य प्रणाली को लागू करते हुए और पोस्टमैन को डेलीवरी न होने के लिए सही टिप्पणी लिखने की इजाजत देते हुए स्टाफ पक्ष ने 1-3-2012 को पिछली जे सी एम मीटिंग के जारी किए गए मिनट्स के आइटम सं. 25 की ओर ध्यान खींचा जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि इस मुद्दे पर सीजीएम (पीएलआई) की अध्यक्षता में पोस्टमैन कमेटी में जांच चल रही है। चर्चा के बाद यह विचार सामने आया कि यह आइटम कमेटी के अधिकार का हिस्सा नहीं है और मुद्दा पदों के निर्माण/पुनर्विन्यास से संबंधित है जो मूल रूप से एक नीतिगत मुद्दा है। लेकिन, स्टाफ पक्ष ने कहा कि पोस्टमैन प्रोजेक्ट ऐरो कार्यालयों में भारी कार्य के कारण वस्तु की डेलीवरी न होने के लिए सही टिप्पणी लिखने में समर्थ नहीं है, इसलिए यह निर्णय लिया गया कि विभिन्न पोस्ट ऑफिसों में प्रोजेक्ट ऐरो को लागू करने के बाद प्राप्त हुए अनुभव की जांच की जा सकती है। इस संबंध में परीक्षण के परिणाम अभी तक सूचित नहीं किए गए हैं।

2. **पोस्टमैन और एम टी एस का कैडर पुनर्गठन :** सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जिस पर पोस्टमैन के खिलाफ भेदभाव है वह स्पष्ट रूप से इस केडर के लिए पुनर्गठन में दिखता है। हालांकि विभाग ने पोस्टल ज्वाइंट

काउंसिल ऑफ एक्शन के साथ हड़ताल वार्ताओं के दौरान एक कैडर पुनर्गठन कमेटी बनाने पर सहमति दी थी लेकिन पोस्टमैन और एम टी एस कैडर को कैडर पुनर्गठन के दायरे से हटाकर आदेश जारी किए हैं। इससे पोस्टमैन और एम टी एस कैडर के कैडर पुनर्गठन के महत्वपूर्ण मुद्दे पर विभाग की मानसिकता दिखती है। डाक निदेशालय का रुख नेशनल अनामी कमेटी में अधिकारी पक्ष के निर्देश के विरुद्ध था कि प्रत्येक विभाग कैडर पुनर्गठन के उद्देश्य पर एम ए सी पी स्कीम पर अधिक निर्भर रहने की बजाय कर्मचारियों के प्रमोशन के अवसरों को प्रोत्साहित करने के लिए कैडर पुनर्गठन के मुद्दे की जांच करेगा। यह एक ज्ञात तथ्य है कि पोस्टमैन और एम टी एस कैडर का, एक प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से पोस्टल एसिस्टेंट के कैडर में प्रमोशन को छोड़कर कोई भी स्वस्थाने प्रमोशन नहीं है। पोस्टमैन और एम टी एस कैडर में क्रमबद्ध प्रमोशन और इस भेदभाव को पोस्टमैन और एम टी एस के लिए उचित कैडर पुनर्गठन के बिना खत्म नहीं किया जा सकता। यहां तक कि पोस्टमैन कैडर के लिए टी बी ओ पी / बी सी आर को लागू करने से पहले जो मामूली प्रमोशन जैसे हैड पोस्टमैन, सोर्टिंग पोस्टमैन आदि मौजूद थे वे परिदृश्य से गायब हो गए हैं और आज की तिथि में इन कैडरों के लिए कैडर में कोई प्रमोशन नहीं है। दुर्भाग्य से डाक विभाग प्रतिशत आधार पर कैडर पुनर्गठन के लिए हमारे विचार और प्रस्ताव को न केवल महत्व नहीं दे रहा है (जो रेलवेज विभाग में सभी के लिए उपलब्ध है) बल्कि इस कैडर के लिए किसी भी कैडर पुनर्गठन प्रस्ताव पर विचार करने को तैयार नहीं है। उनके लिए अपने स्वयं के कैडर में किसी भी प्रमोशन की अनुपस्थिति से वे पूरी तरह निराश हैं और बेहतर सेवा के लिए काम करने के लिए किसी भी प्रोत्साहन को निरुत्साहित करता है। कैडर पुनर्गठन कमेटी की अनुपस्थिति में हमारे प्रतिशत आधारित प्रस्ताव का कोई विकल्प पाने के लिए विभाग को उचित महत्व देना चाहिए और उसे करना चाहिए।

3. **बीटों की डोर-टू-डोर वैज्ञानिक माप :** (क) इस समय विभाग द्वारा डोर-टू-डोर बीट माप के लिए अपनाई गई प्रणाली न केवल असंतोषजनक है बल्कि गलत भी है चूंकि बीट की वास्तविक लंबाई की जांच के लिए किसी भी वैज्ञानिक यंत्र जैसे फुट मीटर या साइकिल मीटर का उपयोग नहीं किया जाता है। बीटों की माप मेज पर बैठकर आम तौर पर केवल अनुमान लगाकर की जाती है। इसके अलावा 8 घंटे की ड्यूटी के दौरान मेल डेलीवरी के कार्यभार और विजिट किए जाने वाले घरों की संख्या कहीं निर्धारित नहीं की गई है जिससे पोस्टमैन स्टाफ को भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। यह मांग की जाती है कि पोस्टमैन स्टाफ की डेलीवरी की कुशलता और कार्यभार के सुसंगतीकरण के हित में विजिट किए जाने वाले घरों की संख्या और वितरित की जाने वाली वस्तुओं की संख्या निर्धारित की जाए।

निदेशालय ने हमारी शिकायतों को कि पोस्टमैनों की बीट अवैज्ञानिक रूप से बनाई गई है जो इतनी लंबी दूरी की है कि एक दिन में कवर करना असंभव है। सुनने के बाद पोस्टमैन बीटों के सुसंगतीकरण के लिए आदेश दिए। अपनी शिकायतों की पुष्टि के लिए अनेक उदाहरण (जैसे 70 किमी. से भी अधिक की बीटों के) पोस्टमैन कमेटी के सामने रखे गए। चर्चाओं के आधार पर निदेशालय ने बीटों की माप और उन्हें उचित तरीके से सुसंगत बनाने के लिए आदेश जारी करने की सहमति दी। दुर्भाग्य से हमारे सर्किलों से हमारे यूनियन सीएचक्यूज को शिकायतें मिल रही हैं कि बीटों की दुबारा माप बिना किसी साइकिल मीटर या फुट मीटर के काल्पनिक गणनाओं के आधार पर की जा रही है। इससे समस्या और जटिल हो गई है और पोस्टमैन स्टाफ के भीतर व्यापक असंतोष है। हमारी दोनों यूनियनें आपसे निर्देश जारी करने का अनुरोध करती हैं कि बीटों के सुसंगतीकरण के लिए सिर्फ साइकिल मीटरों या फुट मीटरों का उपयोग करके सभी पोस्टमैन बीटों की माप की जाए।

(ख) **आदेश सं. 31-38/79 पीई-1 दिनांक 22-5-1979 में संशोधन के लिए कमेटी की मीटिंग तय करना :** 29-11-2012 को हुई पीरियोडिकल मीटिंग और 28-12-2012 को हुई डिपार्टमेंट काउंसिल मीटिंग के आर/ओ आइटम डी ओ 4 में डोर टू डोर वाक के पोस्टमैन के आर/ओ फउटवर्क में विभाग के आदेश सं. 31-38/79 -पीई-1 दिनांक 22-5-1979 में संशोधन की जांच के लिए, संशोधन की जांच के लिए कमेटी गठन की।

4. **विभागीय परीक्षा संशोधन के लिए पाठ्यक्रम संशोधन :** (क) जैसा कि पूर्व पैराग्राफ में जिक्र किया गया है पोस्टमैन/एम टी एस कैडर के लिए उच्च प्रमोशन के लिए खुला एकमात्र अवसर प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से पोस्टल एसिस्टेंट का पद है। विभाग ने पाठ्यक्रम और परीक्षाओं के पैटर्न में संशोधन का रास्ता चुना और स्टाफ पक्ष भी इस पर सहमत हो गया। हमें यह बताया गया था कि पाठ्यक्रम और परीक्षा के पैटर्न में से हरेक परीक्षा के बाद बिना भरी अनेक रिक्तियों से बचा जा सकेगा। पाठ्यक्रम फाइनल करने में लंबा समय लगा और एल जी ओ परीक्षा के लिए परीक्षा का नया तरीका लागू किया गया। किंतु यह पाया गया है कि विभाग ने जो हमें बताया था उसके विपरीत एलजीओज की परीक्षाएं और जीडीएस से पोस्टमैन एवं एम टी एस की परीक्षाएं भी बहुत कठिन हो गई हैं और अनेक प्रश्नों का उत्तर देना अत्यधिक कठिन हो गया है। अनेक प्रश्न ऐसे स्टैंडर्ड के हैं कि यहां तक कि आईपीएस ऑफीसर भी आसानी से उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे। इससे ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसमें उम्मीदवार इन परीक्षाओं को पास नहीं कर सकते और परीक्षाओं के बाद बड़ी संख्या में रिक्तियां बिना भरे रहती हैं। हमारी दोनों यूनियनें आप से अनुरोध करती हैं कि पूरे पाठ्यक्रम को उपयुक्त रूप से संशोधित करने के लिए स्टाफ सदस्यों के साथ अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाए।

(ख) **वर्ष 2009, 2010, 2011 और 2012 के लिए पोस्टमैन और एम टी एस कैडर की भर्ती के लिए विशेष परीक्षा आयोजित करने का अनुरोध :** उपर्युक्त प्रस्तुतिकरण की पृष्ठभूमि में ऊंटे स्टैंडर्ड के योग्य कर्मचारियों के छोड़कर जाने के कारण क्रमिक रिक्तियों से बचने के लिए यह अनरोध किया जाता है कि : (1) पोस्टमैन और एम टी एस कैडर में वर्ष 2009 से 2013 के लिए रिक्तियों को भरने के लिए जी डी एस/एम टी एस कर्मचारियों के लिए विशेष परीक्षा आयोजित की जाए। (2) प्रश्न पत्र नियमित एम टी एस और पोस्टमैन कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले दैनिक प्रैक्टीकल और प्रासंगिक कार्य के आधार पर तैयार किया जाए। (3) प्रश्न पत्र तैयार करने का काम एक प्रमोटी ऑफिसर से कराया जाए जिसके पास एम टी एस और पोस्टमैन कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले काम की प्रकृति का व्यावहारिक ज्ञान है।

(ग) **खाली पदों को बकाया रिक्तियों के साथ भरा जाए :** पोस्टमैन और ग्रुप डी / एम टी एस के सभी खाली पदों को निदेशालय के निर्देशानुसार 30 जून 2013 के भीतर भरा जाना चाहिए। खाली पदों को समय पर भरने का कोई चांस नहीं है चूंकि अनेक सर्किलों जैसे आंध्र प्रदेश और असम सर्किल आदि में कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है।

5. **वर्दी की क्वालिटी में सुधार करना और सभी किट आइटमों की समय पर आपूर्ति :** डाक विभाग में पोस्टमैन और एम टी एस को वर्दीधारी स्टाफ कहा जाता है। दुर्भाग्य से ये वे कैडर हैं जो जनता के बीच जाते हैं और वर्दी के कपड़े की घटिया क्वालिटी के कारण विभाग की छवि खराब होती है। विभाग द्वारा अखिल भारतीय यूनियनों के साथ समझौते के बावजूद, जिसके कारण बेहतर गुणवत्ता के कपड़े की खरीद सुनिश्चित करने के लिए वर्दी के कपड़े की खरीद करने वाली कमेटी में यूनियनों से स्टाफ पक्ष सदस्य को शामिल करने में मदद मिली, समस्या बनी हुई है। इस

समस्या को तब तक हल नहीं किया जा सकता जब तक कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा स्वीकृत लागत मूल्य में, कपड़ों समेत सभी वस्तुओं के बढ़ते दामों को देखते हुए, वृद्धि नहीं की जाती। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा स्वीकृत लागत मूल्य बाजार से वर्दी का बेहतर गुणवत्ता का कपड़ा सुनिश्चित नहीं कर सकता। इसके अलावा सर्किलों में यहां वहां उल्लंघन होते हैं जहां प्रशासन क्रय कमेटी में स्टाफ पक्ष सदस्यों को शामिल करने को गंभीरता से नहीं लेता और स्टाफ को चुनी गई गुणवत्ता के कपड़े की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। इनको फौरन हल करना होगा।

6. **पोस्टमैन बीटों की अवैज्ञानिक माप बंद करो :** निदेशालय ने हमारी शिकायतों को पोस्टमैनों की बीट अवैज्ञानिक रूप से बताई गई है जो इतनी लंबी दूरी की है कि एक दिन में कवर करना असंभव है, सुनने के बाद पोस्टमैन बीटों के सुसंगतीकरण के लिए आदेश दिए। अपनी शिकायतों की पुष्टि के लिए अनेक उदाहरण (जैसे 70 किमी. से भी अधिक की बीटों के) पोस्टमैन कमेटी के सामने रखे गए। चर्चाओं के आधार पर निदेशालय ने बीटों की माप और उन्हें उचित तरीके से सुसंगत बनाने के लिए आदेश जारी करने की सहमति दी। दुर्भाग्य से हमारे सर्किलों से हमारे यूनियन सीएचक्यूज को शिकायतें मिल रही हैं कि बीटों की दुबारा माप बिना किसी साइकिल मीटर या फुट मीटर के काल्पनिक गणनाओं के आधार पर की जा रही है। इससे समस्या और जटिल हो गई है और पोस्टमैन स्टाफ के भीतर व्यापक असंतोष है। हमारी दोनों यूनियनें आपसे निर्देश जारी करने का अनुरोध करती हैं कि बीटों के सुसंगतीकरण के लिए सिर्फ साइकिल मीटरों या फुट का उपयोग करके सभी पोस्टमैन बीटों की माप की जाए।

7. **एम टी एस को साइकिल मरम्मत भत्ता :** सभी पोस्टमैन स्टाफ को बिना किसी शर्त साइकिल मरम्मत भत्ता दिया जाता है जबकि एम टी एस स्टाफ को जो लैटर बॉक्स क्लीयर करने या दूसरे बाहरी ऑफिस कार्य में लगे हैं उन्हें सी एम ए के दायरे से बाहर रखा गया है। यह अनुचित है। एम टी एस स्टाफ को भी पोस्टमैन स्टाफ की तरह बिना किसी शर्त सी एम ए अदा किया जाए। हमारी दोनों यूनियनें आप से अनुरोध करती हैं कि सभी एम टी एस को बिना किसी शर्त सी एम ए अदा करने के आदेश जारी किए जाएं।

(क) **निर्धारित आर्थिक मुआवजे में संशोधन (ए) :** इस संबंध में आपके कार्यालय पत्र सं. 10-7/2003 पीई-2 दिनांक 24 नवंबर 2010 का संदर्भ दिया जाता है जिसमें संशोधन पर वर्तमान दर को प्रत्येक श्रेणी के लिए बढ़ाया गया है लेकिन मल्टी टास्किंग स्टाफ को छोड़ दिया गया। जिसकी वेतन की दर के 4 घंटों के लिए 60 रुपये प्रति हॉलीडे की दर से कम कर दिया गया है जबकि एम टी एस स्टाफ को प्रति घंटे 21.15 रुपये प्रति घंटे की दर के आधार पर 3 घंटे के लिए प्रति हॉलीडे 63.45 रुपये मिल रहा था। लगातार पत्रव्यवहार का कोई फल नहीं निकला। एम टी एस स्टाफ के लिए उचित न्याय हेतु इसकी समीक्षा करने की जरूरत है।

8. **सभी मेट्रो शहरों में नोडल डेलीवरी सेंटरों को खत्म करना :** दैनिक वितरण प्रणाली में कठिनाइयों से बचने के लिए देशभर में सभी नोडल डेलीवरी सेंटरों को फौरन खत्म कर दिया जाए। (उदाहरण - पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, बंगलोर, महाराष्ट्र सर्किल मुंबई जी पी ओ)।

9. **उत्पीड़न बंद करो :** पोस्टमैन स्टाफ को 100% डेलीवरी के लिए यातना दी जाती है और विभिन्न केसों में उससे ड्यूटी के घंटों के बाद भी काम करने के लिए कहा जाता है और अनेक तरह से परेशान किया जाता है। यह बंद होना चाहिए।

10. **पोस्टमैन कैडर के प्रमोशन पद :** मेल ओवरसीयर, कैश ओवरसीयर, हैडपोस्टमैन और सोर्टिंग पोस्टमैन के पदों को पोस्टमैन कैडर के प्रमोशन पदों के रूप में विचार करना चाहिए और ऐसे पदों पर ड्यूटी के लिए अतिरिक्त इंक्रीमेंट या कुछ भत्ता अदा किया जाना चाहिए। इन पदों पर डेप्लॉय करते हुए पोस्टमैन की सीनियरिटी के मानक को ध्यान में रखा जाए।

कार्रवाई क्रार्यक्रम : ए आई पी ई यू पोस्टमैन एंड एम टी एस / ग्रुप 'डी' और एन यू पी ई पोस्टमैन एंड एम टी एस दोनों आपसे अनुरोध करती हैं कि उपर्युक्त मुद्दों का शीघ्रता से हल किया जाए। उन्होंने इन सभी मुद्दों पर ध्यान खींचने के लिए निम्नलिखित राष्ट्रव्यापी कार्रवाई कार्यक्रम संयुक्त रूप से चलाने का निर्णय लिया है।

1. **कार्यस्थल पर प्रदर्शन : 20 से 22 जून 2013** को पी-4 की अनुभागीय मांगों को हाइलाइट करने के लिए सभी डिवीजनों में लंच आवर में या शाम के समय।

2. **28 जून 2013** की डिवीजनल ऑफिसों के सामने **दिन भर का सामूहिक धरना।**

3. **9 जुलाई 2013** को क्षेत्रीय कार्यालयों और चीफ पी एम जी कार्यालयों के सामने सामूहिक भूख हड़ताल।

4. **कच्छा (हाफ पैंट) और बनियान पहनकर (पुरुष पी एम) और महिला पोस्टमैनों द्वारा बिना वर्दी पहने मेल वितरित करना :** घटिया वर्दी और दूसरे किट आइटमों की अनियमित आपूर्ति के विरोध में पोस्टमैन 23 और 24 जुलाई 2013 को पुरुष पोस्टमैन कच्छा (हाफ पैंट) और बनियान पहनकर और महिला पोस्टमैन बिना वर्दी के मेल वितरित करेंगे।

AIPEU & NUPE P-IV के सभी सी डब्ल्यू सी मेंबरों समेत और डाक विभाग सचिव को हड़ताल का नोटिस देना।

6. **16 सितंबर 2013 से अनिश्चितकालीन हड़ताल :** हमारी दोनों यूनियनों को अब भी भरोसा है कि डाक विभाग सचिव पोस्टमैन और एम टी एस के ज्वलंत मुद्दों को हल करने के लिए अतिशीघ्र आदेश जारी करके सामान्य स्थिति और शांति कायम रखने हेतु व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करेंगे।

सधन्यवाद,

भवदीय

- सही -
(टी.एन. रहाटे)
डीपूटी / जनरल सेक्रेटरी
एन यू पी ई पी-4

- सही -
(ईश्वर सिंह डबास)
जनरल सेक्रेटरी
ए आई पी ई यू पी-4

General Secretary Letter Addressed to Secretary (P)

To,
The Secretary (P), Department of Posts,
Dak Bhawan, Sansad Marg,
New Delhi-110001

Subject : To provide **mediclaim policy** to the employees of the Postal Department in lieu of CGHS and AMA facility.

Respected Madam,

It is learnt that the earlier facility allowed to the Central Government Employees to avail of medical treatment in the **Authorised private hospital** has since been **withdrawn.** This means that the Central Government Employees are required to take **medical treatment** only in Government Hospitals. This restriction is likely to put the Central Government Employees to great inconvenience and disadvantages.

It is a known fact that the **Government Hospitals** are mostly overcrowded and the staff in the hospitals are arrogant and adamant. Even in the emergency cases the patient is made to undergo the prescribed procedure at the **risk of life of the patient.** Besides, in taking treatment in the Government Hospital the patient is required to incur necessary medical expenditure from his own pocket and the reimbursement is complied with after a gap of long period that to according to the prescribed rate admissible which are generally lower than market rates for medicines, **injection and dietary expenditure,** the quality of medicines are also of low value and mostly ineffective. This situation is also equally applicable to the **CGHS dispensary.** As per the **experience** of the employees many **CGHS dispensaries** are found to be **out of medical medicines** necessary for the **recuperative of the staff.** Due to mental, physical and pecinuary problems the Central Government Employees staff is succumbing to **various elements like BP, TB, cancer, diabetic, kidney problems etc.** The AMA appointed by the Department are also found under pressure and obligations of the instructions issued by the Government. Due to **overcrowding in the Government Hospital** a very long time is required to be spent in the hospital to get the treatment. Due to obligation of duty a Government Employee cannot afford to spent long time at the Government Hospital. In the context of above background my Union suggests following measures-

1. Each and every Government Servant may be covered with **mediclaim policy** according to their category (minimum 10 Lakhs).
2. The contribution made for **mediclaim policy** may also be included in the rebate limit for the **IT (Income Tax).**
3. The mediclaim policy may be made applicable to the family of the Government Servant as defined in the word ability.
4. It may be strictly ensured that the **remittance of** due to the **mediclaim company** may be **timely and regularly** be sent to the **mediclaim company directly.**

It is hoped that the **suggestions** made above would be given kind and close consideration with modification as deem fit.

Thanking you,

Yours Sincerely
Sd/-
(T.N. RAHATE)
General Secretary and President FNPO

Reply

No. 10-9/2013-SR
Government of India
Ministry of Communications & IT
Department of Posts
(S.R. Section)

Dak Bhawan, Sansad Marg
New Delhi dated the 1st May, 2013

Subject : To provide mediclaim policy to the employes of the Postal Department in lieu of CGHS and AMA facility.

Kindly find enclosed letter No. P-IV/Provide mediclaim policy/CGHS/2013 dated 22/04/2013 (in original) received from General Secretary, All India Postal Employees Union Postmen & MSE Group 'D' on the above subject for necessary action at your end.

Sd/-
(Arun Malik)
Director (SR & Legal)

The ADG (Medical)
Department of Posts
Dak Bhavan, New Delhi

Copy to:

T.N. Rahate
General Secretary & President FNPO
National Union of Postal Employees
Central Head Quarters
Delhi - 110 054

NATIONAL COUNCIL JCM ON PENSIONARY MATTERS
MINUTES OF MEETING HELD ON 28.05.2013 WITH THE REPRESENTATIVES OF STAFF SIDE

F. No. 42/7/2013-P&PW(G)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare
3rd Floor, Lok Nayak Bhavan,
Khan Market, New Delhi - 110003

Dated : 12th June, 2013

OFFICE MEMORANDUM

Subject : Minutes of the meeting held on 28.5.2013 with the representatives of Staff Side, National Council JCM on pensionary matters.

The undersigned is directed to enclose herewith a copy of minutes of the meeting held on 28.5.2013 with the representatives of the Staff Side, National Council JCM on pensionary matters under the chairmanship of Secretary (Pension, AR&PG) in Room No. 310, Lok Nayak B Khan Market, New Delhi for information/ necessary action,

Enclosure: As above.

Sd/-
(Sujasha Choudhury)
Dy. Secretary (P)

DEPARTMENT OF PENSION AND PENSIONERS' WELFARE

MINUTES OF THE MEETING WITH THE REPRESENTATIVES OF STAFF SIDE, NATIONAL COUNCIL JCM ON PENSIONARY MATTERS UNDER THE CHAIRMANSHIP OF SECRETARY (PENSION, AR&PG) ON 28.5.2013 AT LOK NAYAK BHAWAN, NEW DELHI

Secretary (Pension, AR&PG) chaired a meeting with the representatives of Staff Side, National Council JCM on 28.5.2013 to discuss various issues relatingto pension and other retirement benefits. The list of participants is at Annexure-I. Secretary (Pension, AR&PG) welcomed the participants and appreciated the contributions of the pensioners in the overall development of their respective organisation.

2. The meeting started with a discussion on the Action Taken Report on the minutes of the meeting held on 6.11.2012 as per details given below:

(i) Ex-gratia payment to SRPF/CPF beneficiaries who retired other than on superannuation, i.e. voluntary retirement and medical invalidation cases.

Department of Expenditure has given clearance for deletion of clause 'c' of para 2 of OM dated 22.3.2004 which prohibits grant of ex-gratia payment to those retired from service other than superannuation. With this, CPF beneficiary who have retired voluntarily and on medical grounds after 20 years of service will also be granted ex-gratia. It was decided that this agenda item will be closed after issue of a revised OM by the DOP&PW. Ministry of Railways will also issue similar orders.

Action DOP&PW and Ministry of Railways

(ii) Raising quantum of ex-gratia to CPF retirees on the lines of SRPF

The latest status of the case was intimated to the JCM. After the issue of orders by this Department, consequent to the decision of Cabinet the item may be dropped.

Action : DOP&PW

(iii) Abnormal delay in the issue of revised PPO to Pre - 2006 retirees, pensioners / family pensioners.

(i) It was intimated that the Department had taken the following initiatives like (a) allowing change in date of birth of spouse, (b) use of certain documents as proof of date of birth of spouse, (c) inclusion of present postal address and mobile and telephone number in the life certificate (d) use of e-scroll for extracting information from banks' database. (e) revision of PPOs even in cases where date of birth/age of spouse is not given in the PPO or this information is not available in the office records for speedy revision of PPOs.

(ii) As a result, the number of pending revision cases for civil pensioners has come down from 2,54,467 in August, 2012 to 74,000 as on April, 2013 as per information given by the CPAO on the basis of e-scrolls.

(iii) However, amendment in calculation of revised pension, vide OM dated 28.1.13, has necessitated issue of revised authority in all cases, as indicated in OM dated 13.2.13.

Secretary (Pension, AR&PG) stated that record/information of many pensioners are not available with the Departments, which is hampering further progress and the Pensioners Associations should come forward to help the departments in reaching out to the pensioners/family pensioners. He further stated that Secretaries of various Departments have been requested to review the issue of revision of PPO in the fortnightly/monthly meetings.

Railways stated that in case of pre 2006 pensioners advertisement has been issued. Matter was taken up with RBI to issue notification to all banks Out of 10.89 lakh such cases, 5.46 have been issued revised P.P.Os. Meetings are generally held at various levels. 30th September, 2013 has been set as the target date for disposal of these cases. The progress is being reviewed every month. It has also been decided to take up the revision of PPOs suo-moto rather than waiting for anapplication from the pensioner. The said letter is under issue. Secretary (Pension, AR&PG) desired that the same may be issued by 15th June, 2013. Secretary, Pension desired that necessary changes in systems may be made if that would facilitate the pension sanction and payment processes in the Railways. The present pension authorisation is decentralised in the Railways, Secretary, Pension also stated that he will write to the Chairman, Railway Board in this matter.

CGDA, Ministry of Defence intimated that they hope to complete the exercise by 30th September, 2013.

Action : CPAO, Ministry of Railways,

Ministry of Defence & DOP&PW

(iv) Fixation of Revised Pension (1/3 of commuted portion of Pension) in respect of Government servant who had drawn lump sum payment on absorption - revision by multiplying pre revised pension by a factor of 2.26

CAT, Hyderabad Bench, vide its order dated 22.4.2013, has directed, to pass an order for revision ofpension of absorbee pensioner's. The Staff Side was informed that the matter was under examination in consultation with Department of Expenditure.

(v) Commutation of Pension(a) Revision of old/ new commutation table and

(b) Restoration of commutation period to be reduced from 15 to 12 years.

It was explained that the matter of revision of old/new commutation table was discussed with Department of Expenditure.

It was observed that this issue should be considered by the next pay commission.

JCM intimated that by the new commutation table, the restoration of the commuted portion is completed by 11 years because interest rate is at 8% unlike the old table wherein the restoration period was after 15 years because interest rate was taken at 4.75%. Department of Expenditure stated that issue for this old/new commutation table can be studied only by a specialised body and hence could be looked into by the IRDA. However, these are larger issues for which a holistic viewneeds to be taken by a body like the Pay Commission. However, the matter may be referred toDepartment of Expenditure.

(vi) Family pension to divorced/Widowed/ Unmarried daughter of a Government Servant.- Difficulty faced by them in getting family pensionsanctioned.- Life Time Arrear.

JCM did not raise any specific point in this regard. In fact, it was mentioned by the JCM members that the legal view on the issue of nomination of life time arrear of family pension is that since he/she has not earn the family pension he/she also can not have the right to nominate. As such, the matter may be dropped.

(vii) Payment of arrear pension/family pension on account of revision of pension family pension with effect from 1.1.2006- Specific of bank in Chandrapur.

It was informed that the matter was taken up with CPPC, Mumbai (SBI), who informed that the payment to pensioners is being made and there is no such case where pension has not been revised as per 6th CPC. Hence the matter may be dropped.

(viii) Payment of Pension to the spouse of pensioners through S.B. account opened jointly with spouse - Problem in SBI.

CPAO has informed that necessary instructions in this regard have been issued to all CPPCs with the direction to bring the contents to the notice of all payingbranches. CPAO was requested to give a copy to the 3C1v1. It was decided to drop the matter.

3. The representatives of 3CM also desired the status of eight agenda items sent by Shri Shiva Gopa I Mishra, General Secretary, AIRF which were not included may also be intimated clearly. This may be informed to him separately.

4. After above discussion on **Action Taken Report on the minutes of meeting dated 6.11.2012,** fresh agenda items were taken for discussion which are as under:

(i) Equitable Gratuity under Rule 50 of Pension Rules. Slabs are too wide leading to disparity.

Rule 50 of Pension Rules provide the following death gratuity to the family of the deceased Government servant.

Sl.No.	Length of service	Rate of death gratuity
1.	Less than one year.	2 times or emoluments.
2.	One year or more but less than 5years.	6 times of emoluments.
3.	5 years or more but less than 20 years.	12 times of emoluments.
4.	20 years or more.	Half month of emoluments for every completed six monthly period of qualifying service subject to a maximum of 33 times of emoluments.

The JCM (Staff Side) has stated that the given at Sl. No. 3 above is not equitable and suggested the following revision: -

3(i)	5 Years or more but less than 11 years	12 times of emoluments.
3(ii)	11 years or more but less than 20 years	20 times of emoluments

This issue was discussed in the JCM meeting. The present slab of death gratuity was introduced w.e.f. from 1.1.1986 and was introduced as per the recommendations of 4th Central Pay Commission, vide this Departmen No. 2/1/1987-PIC-II dated 14.4.1987. This slab has not be revised since 1986. In between, the 5th and 6th Pay Commission had submitted their reports but no revision had been recommend. After discussions, it was decided that the matter may be examined in consultation with Department of Expenditure.

Action: DOP&PW

(ii) Extension of CS (MA) Rules, 1944 to Central Government Pensioners residing in non-CGHS areas.

The Staff Side demanded that as in the case of serving employees, the CS (MA) Rules may be extended to the pensioners also. This would make pensioners in the non CGHS areas entitled for reimbursement of medical expenses. Staff Side also mentioned that

RNI No. 57368/94 **No. DL (N) / 066/ 2012-14**
Date of Publication :- 24 of every month **JULY, 2013**

Hon'ble Supreme Court has dismissed some SLPs and allowed reimbursement of medical examination of pensioners, in accordance with CS(MA) Rules.

The representative from Ministry of Health informed that the proposal for extension of CS (MA) Rules 1944 to Central Government pensioners was not agreed to in view of huge financial implications. In regard to the dismissal of SLP filed by Department against order of courts/tribunals for grant of medical benefits in individual cases, Ministry of Health has filed a review petition in Supreme Court. It was also informed that Ministry of Health is contemplating Health Insurance Scheme on pan India basis keeping special focus on the non CHGS areas. This is expected to solve the problems of pensioner's living in non CGHS areas. The item was treated as closed.

(iii) Grant of modified parity with reference to the Revised Pay Scale corresponding to pre revised Pay Scale of the post from which an employee had retired - upgraded pay scale instead of normal replacement scales.

The JCM suggested that upgraded revised pay scales may be notionally extended and used for pension fixation instead of normal replacement scales.

It was informed that after the 5th Pay Commission also modified parity was allowed with reference to replacement pay scales and not with the upgraded pay scales. This decision of Government was also upheld by Supreme Court in its judgement dated 23.11.2006 in the CA No. 3173-3174/2006 & 31883190/2006 (K. S. Krishna Swamy Vs. UOI). In the 6th CPC the same principle has been followed in view of above. It was informed that it would not be possible to reopen this issue.Therefore, the item may be closed.

5. The meeting ended with a vote of thanks to chair.

Source: http://www.airfindia.com

Let us recall all the leaders of 1960 & 1946 Strike

11th July 2013 is the 53rd anniversary of 1960 Strike. Strike lasted 5days and it has begun on 11/07/1960. During the strike 45,945 employees were proceeded against under Departmental proceedings, 27,098 were suspended, 17,771 were proceeded against in Court of Law and more than 800 were dismissed or removed due to Court convictions. 976 were dismissed due to Departmental proceedings, 11 were compulsorily retired and 2137 were discharged from service. Termination notices were issued to 7589 officials.

Our founder leader Shri K.Ramamurti was arrested on the midnight of 11th July 1960 and interned to Tihar jail in Delhi. After few days K.Ramamurti handcuffed and chained both arms and legs and was brought to the Court along with Gopalsingh Josh and P.S.R.Anjaneyulu. K.R was punished and he was reduced by 3 stages. KR was admitted to duty only on 19-3-1962. Let us recall all the leaders of 1960 Strike.

Further, from 14 July to 3rd August 1946 entire postmen and Class IV employees of Postal & RMS went on Strike, these lead to appointment of 1st Pay commission and Rajyaksha Committee. The Committee recommended 50% promotion to Postmen & Class IV, it was accepted by the department.

Owner, Publisher, Printer and Editor T.N. Rahate, P&T Colony, Civil Lines, New Delhi-110054
Printed at Vandana Print & Co. 633/634, Daryaganj, Ganj Mirkhan, Delhi-110002